बिहार सरकार
पथ निर्माण विभाग

पत्रांक– प्र08 / विविध–03–42 / 10.......... 6109 (S)   पटना, दिनांक 28.04.2010

प्रेषक,

प्रत्यय अमृत,
सचिव।

सेवा में,

सभी मुख्य अभियंता
सभी अधीक्षण अभियंता
सभी कार्यपालक अभियंता
(सभी उपभाग, राष्ट्रीय उच्च पथ एवं केन्द्रीय निरुपण संगठन सहित),
पथ निर्माण विभाग, बिहार।

विषय :– शहरी पथों के उन्नयन / सतह नवीकरण / मरम्मति के क्रम में पथ के उपरी सतह के उत्तरोत्तर वृद्धि को रोकने के संबंध में।

महाशय,

शहरी पथों के उन्नयन / सतह नवीकरण / मरम्मति के क्रम में पथ के उपरी सतह के उत्तरोत्तर वृद्धि को रोकने हेतु सम्यक विचारोपरांत निम्नांकित निर्णय लिये गये है :–

(i) शहरी क्षेत्र के पथों पर होने वाले जल जमाव का स्थायी समाधान हेतु नगर विकास एवं आवास विभाग को अनुरोध किया जाए।

(ii) जल–जमाव के कारण शहरी पथों के उन्नयन / सतह नवीकरण / मरम्मति के क्रम में पथ परत के उपरी लेवल में बढ़ोत्तरी न हो इसे सुनिश्चित करने हेतु ऐसे अंशों में होने वाले कार्य के पूर्व सम्बन्धित क्षेत्र से जल निकासी की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।

(iii) शहरी पथो मे पथ उन्नयन / सतह नवीकरण / पथ मरम्मति संबंधी प्रस्ताव तैयार करते समय विशेष रुप से ध्यान रखा जाए कि प्रस्तावित कार्य के उपरांत पथ लेवल उचाँ न हो। इसे रोकने हेतु अन्य विकल्पों का व्यवहार किया जाए।

(iv) स्थल विशेष की स्थिति के अनुसार कतिपय मामलों मे पथ परत ऊँचा करने की बाध्यता की स्थिति में सम्बन्धित कार्यपालक अभियंता स्थल स्थिति का विस्तृत प्रतिवेदन एवं प्रस्तावित कार्य की आवश्यकता, विशिष्टि इत्यादि का विस्तृत प्रतिवेदन प्राक्कलन के साथ समर्पित करेंगे। अधीक्षण अभियंता ऐसे स्थलों का स्वयं निरीक्षण कर अपना प्रतिवेदन अंकित करेंगे। मुख्य अभियंता अपने स्तर पर इसकी पूर्ण जाँच करते हुए एक विशेष प्रतिवेदन प्राक्कलन के साथ समर्पित करेंगे। सक्षम प्राधिकार से अनुमोदन के पश्चात् ही ऐसे कार्य सम्पादित कराए जाऐंगे।

D:\letter new.doc

(v) पायलट प्रोजेक्ट के रुप में Cold remixing recycling विधि से पथ उन्नयन त Hot remixing recycling विधि से सतह नवीकरण का कार्य कराने का सैद्धान्तिक सहमति दी जाती है।

(vi) पायलट परियोजना के Viability के मद्देनजर Hot remixing recycling विधि से सतह नवीकरण कार्य हेतु लगभग 4.50 लाख वर्गमीटर कार्य क्षेत्रफल के समतुल्य पथ समूह तैयार करने हेतु सभी क्षेत्रीय मुख्य अभियंता अपने क्षेत्राधीन पथों की सूची, सतह नवीकरण हेतु संबंधित कार्यमद का क्षेत्रफल एवं मात्रा के साथ तथा प्रस्ताव 30 दिनों के भीतर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

(vii) इसी प्रकार in plant cold recycling विधि से पथ उन्नयन कार्य हेतु आवश्यक 1.0 लाख वर्ग मीटर कार्य क्षेत्रफल के समतुल्य पथ समुह तैयार करने हेतु भी सभी क्षेत्रीय मुख्य अभियंता, आवश्यक मद एवं मात्रा सहित अपने क्षेत्राधीन पथों की सूची, एवं कार्य प्रस्ताव 30 दिनों के भीतर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

(viii) उक्त कार्यविधि में उपयोग होने वाले मशीनरीज की कीमत अधिक रहने के कारण सम्प्रति कार्य अभिकर्ता द्वारा इसे lease पर लेकर व्यवहार किया जा सकता है।

(ix) विहित मानकों के अनुरुप पूर्ण investigation (CBR,CVD,Plate load test इत्यादि), एवं सर्वेक्षण के अनुरुप निरुपण के आधार पर ही सीमेंट कंक्रीट पथ के निर्माण का प्रस्ताव तैयार किए जाऐं। कंक्रीट पथ निर्माण के क्रम में पथ का उपरी लेवल का विशेष रुप से ध्यान रखा जाए। concrete overlaying के अन्तर्गत विभिन्न मद जैसे continuosly reinforced concrete pavement, white topping, ultra thin white topping इत्यादि विकल्पों का ध्यान रखा जाए।

(x) Lower level वाले पथांश, जहाँ पथ परत बहुत नीचे है और साइड ड्रेन के लिए कोई out fall नही है, ऐसी स्थिति में शहरी क्षेत्र, बाजार अंश एवं घनी आबादी वाले क्षेत्रों में आवश्यकतानुसार वर्त्तमान पथ परत के कुछ भाग को dismantle कर PQC/White topping(fibreous/reinforced concrete/thin white topping इत्यादि) का प्रावधान किया जाएगा बशर्त्ते कि ऐसे वर्त्तमान पथ परत से पथ लेवल में उचाँई की वृद्धि अधिकतम 3" (75mm) हो।

D:\letter new.doc

(xi) किसी भी हालत में शहरी बाजार भाग के आबादी वाले अंश में परंपरागत कंक्रीट पेभमेंट का पयोग कर पथ परत की उचाँई नहीं बढ़ाई जाएगी।

(xii) IRC:81 के अनुसार Bankelman's beam deflection test के आधार पर ही मजबूतीकरण हेतु overlaying का प्रस्ताव तैयार किया जाए। Bituminous surface के उपर निरुपित overlaying हेतु BM, DBM इत्यादि मदो के conversion विकल्प का भी उपयोग किया जाए ताकि overlaying के कारण लेवल में वृद्धि अपेक्षाकृत कम हो। सम्प्रति अंचल स्तर पर Bankelman's beam deflection test की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएँ।

(xiii) इस वित्तीय वर्ष से शहरी पथों में Wearing course/Surface renewal course के लिए Mastic asphalt का उपयोग किया जाएगा तथा पथ परत उंचीकरण नहीं किया जाएगा। आवश्यकतानुसार पटना शहरी पथों के लिए इसी वित्तीय वर्ष में इस विधि को अपनाई जाए। यदि कहीं जल–जमाव होता है तथा side drain के लिए outfall उपलब्ध है तो वर्त्तमान पथ परत पर mastic asphalt का प्रावधान करते हुए side पक्का drain का निर्माण कराया जाएगा।

(xiv) Cold remixing recycling विधि, Hot remixing recycling विधि एवं concrete overlays के अन्तर्गत विभिन्न type of overlays के मदो का उपयोग करने हेतु विस्तृत प्रतिवेदन तैयार करने निमित्त मुख्य अभियंताओं की अध्यक्षता में अलग–अलग Task force गठित किए जाएंगे। यह Task force पूरी विधि का पूर्ण अध्ययन कर इसमें उपयुक्त होने वाले मदों, एवं दरों का निर्धारण करेगी। साथ ही क्षेत्रीय कार्यालयों से सूचनाएं प्राप्त कर Pilot Project के रुप में कराए जाने वाले कार्य क्षेत्रों को चिन्हित करेगा। इस task force में TRI के पदाधिकारी भी रहेंगे।

(xv) उक्त task force को प्रदत्त कार्यो का अनुश्रवण अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव की अध्यक्षता में गठित अनुश्रवण समिति द्वारा किया जाएगा।

(xvi) क्षेत्रीय पदाधिकारियों को Road Technology के latest development से अवगत कराने हेतु प्रत्येक तीन माह के अन्तराल पर अनिवार्यतः एक सेमिनार आयोजित किए जाएगा। इसमें external technical expert के अतिरिक्त विभाग के वैसे वरीय अभियंता, जो latest जानकारी रखते हों, अपनें अनुभवों को Share कर सकते हैं।

D:\letter new.doc

सभी संबंधित उपर्युक्त निदेश का दृढ़ता से पालन करते हुए अनुपालन प्रतिवेदन समर्पित किया जाए।

28/4

(प्रत्यय अमृत)

ज्ञापांक– 6109 (S) पटना, दिनांक– 28.4.10

प्रतिलिपि :– प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ।

28/4

(प्रत्यय अमृत)

ज्ञापांक– 6109 (S) पटना, दिनांक– 28.4.10

प्रतिलिपि :– विशेष पदाधिकारी(यातायात)/निदेशक, जाँच, प्रशिक्षण, परीक्षण एवं शोध संस्थान,(TRI)/अधीक्षण अभियंता(अनुश्रवण)/सचिव(प्रावैधिक), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28/4

(प्रत्यय अमृत)

ज्ञापांक– 6109 (S) पटना, दिनांक– 28.4.10

प्रतिलिपि :– मुख्यालय स्थित सभी राजपत्रित पदाधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित।

28/4

(प्रत्यय अमृत)

ज्ञापांक :– 457 दिनांक :– 18/5/10

प्रतिलिपि सहायक अभियंता, रा० उ० पथ अवर प्रमंडल, मधेपुरा/मधेपुरा–II/सहरसा एवं राघोपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

कार्यपालक अभियंता
राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल
सहरसा

D:\letter new.doc